टिनांक 10 02 19

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.02.18 में उभयपक्षों के निवेदन पर लोक अदालत सूचना पत्र से उपस्थित होने पर सुनवाई में लिया गया।

वादी सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव।

力をなっているか

प्रति०क० 1 लगायत 5 सहित अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा।

प्रति०क० ६ पूर्व से एकपक्षीय।

प्रति०क० ७, ८ व ९ की ओर से कोई उप० नहीं।

उभयपक्षों ने हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन मय लोक अदालत डॉकेट व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उभयपक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गयी।

प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि वादी तथा प्रति०क० 1 लगायत 5 एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनके मध्य स्वेच्छा राजीनामा हो गया है। राजीनामा अनुसार प्रति०क० 1 लगायत 5 ने भूमि खसरा क० 3739 रकबा 0.46 में से एक वीघा अर्थात 0.20 हेक्टेयर भूमि वादी उर्मिला को दे दी है, अब उक्त भूमि के एक वीघा से प्रति०क० 1 लगायत 5 का कोई संबंध नहीं रहेगा। साथ ही इसी प्रकार से शेष विवादित भूमियों में वादी का कोई हक व संबंध नहीं रहेगा।

उभयपक्षों के निवेदन पर उनके राजीनामा कथन लिए गए। वादी उर्मिला ने कथन किया कि विवादित भूमियां उसके पिता रामप्रकाश की थी। जिनके संबंध में उसने प्रतिवादीगण पर दावा किया था। राजीनामा अनुसार सर्वे क0 3739 में एक वीघा भूमि लेकर अन्य भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रखना चाहती है। इसी प्रकार से प्रति०क0 1 लगायत 5 ने वादी को पिता रामप्रकाश की भूमि से एक वीघा भूमि दिए जाने हेतु तत्पर होने के संबंध में कथन किया है। उभयपक्षों ने राजीनामा बिना किसी दबाब, भय व लोग लालच के करना बताया है। राजीनामा आवेदन के संबंध में लोक अदालत पीठ सदस्यगण ने अनुसंशा प्रदान की है।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

प्रस्तुत वाद वादी उर्मिला ने अपने भाई प्रति०क० 1 लगायत 4 एवं मॉ प्रति०क० 5 के विरुद्ध विवादित भूमि स्थिति ग्राम खनेता के 12 सर्वे क्रमांकों के संबंध एवं एक रिहायशी मकान स्थित ग्राम दीखतपुरा तहसील गोहद के संबंध में प्रस्तुत किया है। प्रति०क० 1 लगायत 5 ने अपने जबाव दावे में विवादित भूमियां पैत्रिक होने के तथ्य से इंकार करते हुए सर्वे क० 3739 एवं 3740 को स्वअर्जित होना लेख किया। प्रकरण में प्रति०क० 1 लगायत 5 ने कथित स्वअर्जित भूमियों

के संबंध में कोई स्वत्व आधार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जबकि अभिलेख पर वर्ष 2016–17 के खसरा में सर्वे क0 3739 रकबा 0.460 हेक्टेयर पर प्रति०क0 1 लगायत ४ का नाम संयुक्त रूप से अंकित है। वादी प्रति०क० 1 लगायति ४ की बहन एवं प्रति०क० ५ की पुत्री है। उभयपक्ष राजीनामा अनुसार सर्वे क० ३७३९ रकबा 0.460 में से रकबा 0.20 हेक्टेयर अर्थात एक वीघा भूमि वादी उर्मिला को छोडने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार से वादी उर्मिला शेष विवादित संपत्ति कृषि भुमियां एवं भवन के संबंध में अपना हक त्यागने को तैयार हैं।

るなる

प्रस्तुत राजीनामा लोक नीति के विरुद्ध प्रतीत नहीं होता है एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है। अतः राजीनामा आवेदन मय लोक अदालत डॉकेट स्वीकार किया जाता है।

निम्नानुसार राजीनामा के आधार पर आज्ञप्ति दी जाती है-

1-सर्वे क0 3739 रकबा 0.460 हेक्टेयर में एक वीघा भूमि की वादी स्वामित्व व आधिपत्यधारी होगी।

2-उक्त भूमि के संबंध में वादी राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कराने हेतु अधिकारी होगी, जिस पर प्रति०क० 1 लगायत 5 को कोई आपत्ति नही होगी।

3–राजीनामा आवेदन पत्र परस्पर उभयपक्षों एवं उनके हित प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होगा। राजीनामा आवेदन पत्र आज्ञप्ति का भाग होगा।

4-उभयपक्ष अपना अपना व्यय वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 100-100 रूपये नियत की जाती है।

आदेश की प्रतिलिपि उभयपक्षों को निःशुल्क दी जावे। वादी को न्यायशुल्क वापसी का प्रमाणपत्र प्रदान किया जावे। आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर संचयन हेतु नियत अवधि में अभिलेखागार प्रेषित हो।

ALLEY DI HEND

पीठासीन अधिकारी